तारीख हुक्म	[illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज [illegible]
18.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 6 का सम्मन तलबाना पेश किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 6 की तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 31.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
31.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 की तामील साधारण तरीके से असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
05.02.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर आज डिक्री होकर अन्तिम निस्तारण हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible] को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली [illegible] तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में [illegible]या गया। 05/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested